

# कार्यालय नगर निगम, अजमेर

— : कार्य— अस्थाई लाईट व्यवस्था हेतु वार्षिक दर सविंदा अनुबन्ध 31.3.2017 :—  
निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

३७  
अधिशासी अभियन्ता (वि.)  
नगर निगम अजमेर

फर्म का नाम :—.....

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय : 5-12-15 दोपहर 4.00बजे से प्रारम्भ

निविदा आनलाईन भरकर देने की दिनांक व समय : 5-12-15 दोपहर 4.00बजे से प्रारम्भ

निविदा आनलाईन भरने की अन्तिम दिनांक व समय : 28-12-15 दोपहर 5.00बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक व समय : 29-12-15 दोपहर 3.00बजे

अनुमानित व्यय राशि ..... 47.75 लाख

बिड सिक्योरिटी ..... 96000/-

निविदा शुल्क : 500/- (डीडी/बैंकर्स चैक) बैंक का नाम ..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक / ..... दिनांक .....

प्रोसेसिंग शुल्क : 1,000/- (डीडी/बैंकर्स चैक) बैंक का नाम ..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक / ..... दिनांक .....

धरोहर राशि का विवरण :—

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक/रसीद संख्या ..... बैंक का नाम.....

दिनांक ..... राशि रु ...../-

## निविदा शर्तें

- निविदा आनलाईन भरी जायेगी। निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा स्वीकार होगी। निविदादाता को धरोहर राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो सबंधित निविदादाताओं द्वारा आयुक्त, नगर निगम, अजमेर के नाम हो प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रोसेसिंग फीस का डीडी/बैंकर्स चैक महाप्रबंधक आरआईएसएल, जयपुर के नाम होना चाहिए। तथा बिड सिक्योरिटी, टेंडर फीस का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त नगर निगम के नाम का होगा।
- निविदा खोलने से पूर्व बिड सिक्योरिटी निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा।

निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।

- a. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- b. बिड सिक्यूरिटी के भुगतान की जमा कराने की बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट की फोटोकॉपी।
- c. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट की फोटोकॉपी।

- d. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- e. विद्युत निरिक्षक का ए क्लास रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
- f. विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में E 1/ EWSD 1 मे पंजिकरण की प्रति।
- g. निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।
- h. निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न हस्ताक्षर करा हुआ ऐक्सचर A, B, C, D
- i. कर्मचारी भविष्य निधि हेतु EPF/ ESI रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- j. श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि।
2. सभी निविदा दाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एवं पारदर्शिता एक्ट 2012 और GF&R के नियम / प्रावधान लागू होंगे।
3. सर्वेंदक राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम/प्रावधानों को स्वीकार करने हेतु पाबन्द होगा।
4. R.P.W A-100 की सभी शर्त मान्य होगी
5. Rajasthan Transparency in public procurement rules 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
6. निविदा दरें BSR आधारित जी-शियड्यूल दर से Below अनुमोदित होने की स्थिति में Performance Security वाली निविदा आधारित मूल्य की अन्तर राशि के बराबर होगी।
7. विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी उपनिदेशय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग एवं द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक एवं उपशासन सचिव स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर होगा।
8. अनुमानित संख्या कम ज्यादा की जा सकती है जिसका आनुपातिक भुगतान होगा।
9. निविदादाता को धरोहर राशी नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो सबंधित निविदादाताओं द्वारा आयुक्त, नगर निगम, अजमेर के नाम हो प्रस्तुत करनी होगी।
10. आपके द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर आपकी निविदा कभी भी निरस्त की जा कर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय का होगा।
11. निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को सबलेट/स्थानान्त्रित नहीं कर सकेंगा।
12. निविदा प्रपत्र स्थाही से भरा जावेंगा पेंसिल से भरें प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेंगा। निविदा में किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए कोई भी ओवरराइटिंग/कटिंग नहीं की जानी चाहिए यदि कोई संशोधन करना हो तो वह अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिए तथा उस पर निविदादाता का लधु हस्ताक्षर होने चाहिए। दर कंटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी। निविदा खोले जाने वाली कमेटी द्वारा स्पष्ट दर अकिंत की जाकर उल्लेख किया जाएगा। जो निविदा दाता को मान्य होगा।
13. निविदादाता को प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे।
14. नगर निगम किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है यह आवश्यक नहीं है की वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।